राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 7(111)राज/वाद/22 पार्ट–I जयपुर दिनांक 13/12/2023

::आदेश::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में निजी सहायक ग्रेड–I के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–23 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 13.04.2023 को आयोजित की गई, जिसमें श्री मिश्रीलाल मीणा, निजी सहायक ग्रेड–II के विरूद्ध विभागीय जाँच अन्तर्गत नियम 17 सी.सी.ए. विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति के संबंध में समिति की अभिशंषा बंद लिफाफे में रखी गई थी।

विभागीय आदेश क्रमांक प07(1)राज/वाद/20 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा श्री मीणा को उसके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जाँच अन्तर्गत नियम 17 सी.सी.ए. में दोषी पाये जाने पर परिनिन्दा की सजा से दण्डित किये जाने के दण्डादेश पारित किये गये। उक्त दण्डादेश दिनांक 31.07.23 के विरूद्ध श्री मीणा द्वारा प्रस्तुत अपील को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि के आदेश क्रमांक प07(1)राज/वाद/20 दिनांक 06.12.23 के द्वारा स्वीकार की जाकर, श्री मीणा के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 31.07.23 को अपास्त/निरस्त किया गया।

अतः राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में निजी सहायक ग्रेड–I के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–23 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 13.04.2023 में की गई अभिशंषा के अनुसार श्री मिश्रीलाल मीणा, निजी सहायक ग्रेड–II को निम्न सूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में अंकित तिथि से कॉलम सं0 5 में अंकित रनिंग–पे बेण्ड एवं ग्रेड–पे/पे–मेट्रिक्स लेवल, निजी सहायक ग्रेड–I के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता हैः–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	रनिंग–पे स्केल एवं ग्रेड–पे/पे–मेट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5
1	श्री मिश्रीलाल मीणा	–	01.04.2022	9300–34800 ग्रेड पे–4200 (एल–11)

उक्त पदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत/अवक्रमित मानते हुये कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा, किन्तु पूर्व में इनके द्वारा प्राप्त किये गये लाभ यथावत रहेंगे। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

ह0

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण)
2. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजकीय वादकरण।
3. संबंधित कर्मचारी––––––––––––––––––
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

13/12/23
शासन सचिव, विधि